संख्या- 22/2021-709/58-2021-24/2021

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2021**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फार वेजीटेबल उमर्दा, कन्नौज में So Ros seeder Machine के क्रय हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-226/आई0टी0सेल/2020-21, दिनांक 10.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेन्टर आफ एक्सिलेन्स फार वेजीटेबल उमर्दा, कन्नौज में So Ros seeder Machine की लागत धनराशि रू0-5.32 लाख के क्रय हेतु अनुदान संख्या-10 लेखाशीर्ष-4401-119-03-0301-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र में उपलब्ध धनराशि से रू0-5.32 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020, दिनांक 24.3.2020, संख्या-4/2020/बी-1-192-दस-2020-231/2020, दि0-07.4..2020, संख्या-5/2020/बी-1- 196-दस-2020-231/2020, दिनांक 11.4..2020 तथा संख्या-6/2020/ बी-1-218-दस-2020-231/2020, दिनांक 18.5.2020 में दी गयी शर्तों/ प्रतिबन्धों/प्रकिया के अधीन होगी।

(2) उपकरणों आदि का क्रय मूल्य जेम पोर्टल के अनुसार न्यूनतम होगा, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) उपकरणों आदि का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-02 के संगत शासनादेश में निर्धारित सीमा/धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

(4) उपकरणों आदि का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-02 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) उपकरणों आदि हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरण आदि किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से क्रय न किया गया हो अर्थात इसकी द्विरावृत्ति न हो।

(7) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृति जिन मदों के लिए दी जा रही है, धनराशि का उपयोग उन मदों से आच्छादित प्रयोजनों पर ही किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4401-119-03-0301-26- मशीने और सज्जा/उपकरण और सयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020, दिनांक 24.3.2020, संख्या-4/2020/बी-1-192-दस-2020-231/2020, दिनांक-07.4.2020, संख्या-5/2020/बी-1-196-दस-2020-231/2020, दिनांक 11.4.2020 तथा संख्या-6/2020/बी-1-218-दस- 2020-231/2020, दिनांक 18.5.2020 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों/प्रकिया के अधीन प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-22/2021-709(1)/58-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in